MPRDC

मध्य प्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0

कार्यालय संभागीय प्रबंधक तहसील परिसर सागर

फोन / फैक्स 07582 241888 Email :- dm-sagar@mp.gov.in

वन भूमि में परियोजना लगाने का औचित्य (Justification)

सागर–रेहली राज्य राजमार्ग क्रमांक 21 विद्यमान मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जाना है। परियोजना में सागर जिले के अंतर्गत प्रस्तावित किमी. 0+000 से प्रस्तावित किमी. 39+165 तक प्रभावित होने वाली कुल वन भूमि 6.080 हेक्टेयर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित वन भूमि को परियोजना निर्माण हेतु उपयोग में लिये जाने का क्या औचित्य है इस विषय के परिपेक्ष निम्नानुसार है।

चूँकि परियोजना में यातायात की वृद्धि लगातार होती जा रही है और साथ ही भारी वाहनों की संख्या में भी दिन–ब–दिन वृद्धि होती जा रही है इसलिए मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना आवष्यक है। मार्ग के चौड़ीकरण के साथ–साथ इस बात का भी ध्यान दिया जा रहा है कि मौजूदा मार्ग में तीव्र घुमावदार मोड़ को भी कुछ हद तक सीधा किया जा सके ताकि मार्ग में होने वाली दुर्घटना में भी कमी हो सके। साथ ही मार्ग पर कुछ पहाड़ी ढलान / चढ़ाव तीव्र हैं जिनसे भारी वाहनों को चढ़ने व उतरने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है ।

अतएव उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब मौके पर विद्यमान मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन हेतु निरीक्षण किया गया तो पाया गया की मार्ग के कुछ हिस्सों में दोनों तरफ वनभूमि लगी हुई है और यदि मार्ग की उपरोक्त समस्याओं का निदान किया जाता है तो निश्चित ही वनभूमि की आवश्यकता पड़ेगी।

अतः उपरोक्त मार्ग के उचित निर्माण हेतु वनभूमि का व्यपवर्तन किया जाना ही एक मात्र विकल्प है जो वनभूमि के व्यपवर्तन के औचित्य सहित प्रेषित है।

(अनिल श्रीवास्तव)
संभागीय प्रबंधक

E:\MPRDC\Division Data\arvind\2015\General Letter Hindi